फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 127 प्रभात जयपुर, रविवार 8 दिसम्बर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

After He Died... "My feet are not on my soil. That is my obstacle. How shall I find another soil and when? I have to return to my mother's womb to seek the source of this archetypal idiom."- Ghatak

World Choral Day Music helps people to bond in many different ways.

12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ''प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट'' को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा

एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो कानूनी जमीनी स्थिति विद्यमान थी, उसको बदलने के लिए किसी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

- याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि एक्ट के इस प्रावधान से हिन्दुओं, जैन, बौद्ध व सिखों का, अपने धार्मिक स्थलों का ''रैस्टोरेशन'' करने का (पुराने स्वरूप में लौटाने का) अधिकार छीन लिया गया है, जबकि, यह अधिकार मुसलमानों को वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 107 में प्रदत्त है।
- भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, काशी राजघराने की बेटी, पूर्व सांसद अनिल कबूतरा, स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती, आदि, कई हिन्दु नेताओं ने ये याचिकाएं दायर की थीं सुप्रीम कोर्ट में।
- दूसरी ओर, जमीअत उलेमा-ए-हिंद, इण्डियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमैंट अंजुमन इन्तजामिया मस्जिद, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखती है, आदि ने इन याचिकाओं का विरोध किया है। इन संस्थाओं का तर्क है कि, अगर इन याचिकाओं को स्वीकार करने के बाद मुकदमे दायर किए जाने लगे, तो मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, अनगिनत मस्जिदों के अस्तित्व के बारे में।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 12 दिसम्बर को, प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप (स्पैशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। ये प्रावधान, पूजास्थल को वापस लेने या 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार का उसका अस्तित्व था, उसे बदलने के लिए मुकदमे दायर करने पर रोक लगाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की स्पैशल बैंच 12 दिसम्बर को 12:30 बजे केस की सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट (पूजास्थल अधिनियम) को चुनौती दी गई हैं, जिनमें कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए पूजास्थलों को फिर से प्राप्त करने के हिंदुओं, जैनों, बौद्धों तथा सिखों के अधिकारों को खत्म करता है।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, काशीराज परिवार की बेटी, महाराज कुमारी कृष्ण प्रिया, पूर्व सांसद चिंतामणि, रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्र शेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी निवासी स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, देवकीनंदन ठाकुर, मथुरा निवासी तथा दिल्ली के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय तथा अन्य ने 1991 के अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उक्त अधिनियम का 1991 प्रावधान किसी भी पूजास्थल के परिवर्तन को निषेध करता है तथा 15 अगस्त 1947 को पूजास्थलों का जो धार्मिक स्वरुप था, उसके रखरखाव की व्यवस्था करने की बात करता है।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों तथा कानून का उल्लंघन करता है तथा अदालत में जाकर न्यायिक निवारण पाने के लोगों के अधिकार को खत्म करता है। इन लोगों को यह कानून, उनके पूजास्थलों के प्रबन्ध व देखरेख के अधिकारों से उन्हें वंचित करता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रामीण विकास विभाग अपील अधिकरण का शीघ्र गठन करे

जयपुर, 7 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव को कहा है कि वे लोकपाल के आदेश के खिलाफ पेश होने वाली अपील की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय अपीलीय अधिकरण का गठन करें, ताकि हाईकोर्ट में अनचाही मुकदमेबाजी न हो। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख सचिव को कहा है कि वे दस दिन में शपथ पत्र पेश कर प्राधिकरण के गठन को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दें। अदालत ने चेताया है कि यदि शपथ पत्र पेश नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने ये आदेश मुकेश गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साल 2023 की संशोधित गाइडलाइन के तहत प्राधिकरण के गठन में सुस्ती बरतने पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है।

- हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को दस दिन में शपथ पत्र पेश कर अब तक उठाये कदमों की जानकारी मांगी।

सुनवाई के दौरान अदालत के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अपीलीय अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गत 28 जून को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। याचिका में अधिवक्ता नीतू भंसाली ने बताया कि सवाई माधोपुर जिला परिषद के लोकपाल ने याचिकाकर्ता पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'इण्डिया गठबंधन ठीक नहीं चल रहा'

यह कहकर ममता बनर्जी ने अपनी सेवाएं ''ऑफर'' कीं, इण्डिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने के लिए

- कांग्रेस तथा मार्क्सवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के महत्वाकांक्षी तर्क का भारी विरोध किया, पर कुछ छोटी-मोटी पार्टियां जरुर ममता बनर्जी के इस तर्क से मोहित हुई हैं।
- ये वो पार्टियां हैं, जिनकी बंगाल में भविष्य में पैर जमाने की न कोई इच्छा है और न ही इनका बंगाल में कोई राजनैतिक अस्तित्व है।
- हालांकि, ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर न तो कोई प्रभाव है और न ही कोई सांसद या विधायक। पर देश में कई ऐसे क्षेत्रीय नेता भी प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका पूरे देश में प्रभाव नहीं था, जैसे देवेगौड़ा तथा इन्द्रकुमार गुजराल। अतः ममता जी की महत्वाकांक्षा जोर मार रही है, उनका भी ''चांस'' बन सकता है प्र.मंत्री बनने का।

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय भूमिका में आने के लिए एक बार फिर कोशिश की है। भारतीय राजनीति की यह ''वन्डर वूमन'' अपने प्रभाव को दृढ़तापूर्वक बढ़ाने के लिए एक बार फिर पर्दे के पीछे सक्रिय हो रही है।

देश के केवल एक हिस्से तक सीमित होने के बावजूद, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शीर्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने की दिशा में एक बार फिर बड़ी चालाकी से अपनी चालें बड़ी से चल रही हैं। वे चाहती हैं कि जब अगले राष्ट्रीय चुनाव हों, तब वे या तो किंग-मेकर की भूमिका में हों, या फिर स्वयं महारानी हों।

एक टी. वी. इंटरव्यू के दौरान, ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेतृत्व के बारे टिप्पणियां की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह काम उन्होंने स्वयं शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 'इंडिया' का नेतृत्व ठीक तरह नहीं हो रहा है तथा वे स्वयं को विपक्ष के नेतृत्व के लिए प्रस्तुत कर रही हैं।

उनके इस बयान से, वे स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ जाती हैं। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बने इस राष्ट्रीय गठबंधन के नेतृत्व के उनके दावे पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में माकपा ने भी कांग्रेस का साथ दिया है क्योंकि बंगाल में उसके ममता बनर्जी को लेकर बड़े खराब अनुभव हैं।

लेकिन कई अन्य पार्टियां उनके प्रभाव में आ गई हैं। जिन पार्टियों की बंगाल में कोई रुचि नहीं है या जो बंगाल की चुनावी या राजनैतिक जमीन पर प्रतिस्पर्द्धा में आने की कोशिश में हैं, उन पार्टियों ने बड़े उत्साह के साथ ममता के दावे का समर्थन किया है। लेकिन जिन पार्टियों को तृणमूल कांग्रेस के साथ प्रतिस्पर्धा का अनुभव है, उनके विचार इससे सर्वथा भिन्न हैं।

ममता बनर्जी बंगाल में किसी भी प्रकार के विपक्ष के प्रति बहुत निष्ठुर हैं। वे अपने किसी भी प्रकार के विरोध को साफ कर देने के लिए डराने-धमकाने से लेकर, हिंसा के बुरे से बुरे रूप को अपनाने से भी परहेज नहीं करती।

बनर्जी मूल रूप से कांग्रेस का ''बाई-प्रोडक्ट'' हैं। राजीव गांधी उनके समर्थक थे तथा इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद के मानसिक आघात के दौर में, उन्होंने ही ममता को पहला ब्रेक दिया था। सबसे पहले, राजीव गांधी ने ही उन्हें विदेश-यात्रा पर भेजा था, ताकि, विदेशों में क्या हो रहा है, वे इससे परिचित हो जायें। ममता ने अपना अलग तथा विशिष्ट रास्ता बनाने के लिए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हूडा के माथे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हरियाणा में कांग्रेस की हार का

जाट-दलित साझेदारी, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी, इस बार छिन्न-भिन्न हो गई थी, विधानसभा चुनाव के समय

- हूडा के आलोचकों के अनुसार, उन्होंने 90 में से सत्तर टिकट जाटों को बांटे विधानसभा चुनाव में, इससे दलित व ओ.बी.सी. आशंकित हो गए, जाट बहुल सरकार की संभावना से।
- हूडा ने आप पार्टी को भी एक भी सीट नहीं दी, जबकि उनकी मांग छः सीटों के लिए थी। आप पार्टी के उम्मीदवारों के खड़े होने से कांग्रेस ने ये सीटें गंवाईं। तथा कांग्रेस का टिकट न मिलने से असंतुष्ट बने विद्रोही कांग्रेस उम्मीदवारों ने दस सीटों पर कांग्रेस के वोट काटे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिये कुमारी शैलजा से भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार भूपिन्दर सिंह हूडा हैं। बताया जाता है कि उन्होंने विधानसभा की कुल 90 सीटों में 70 सीटों के टिकट स्वयं दिये थे। अपराजेय जाट-दलित गठबंधन, जिसने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में चमत्कारिक काम किया था, वह विधानसभा चुनावों में टूट गया था।

ओ.बी.सी. तथा दलितों के मन में जाटों के दबदबे वाली सरकार का डर बैठ गया था। हूडा ने आम आदमी पार्टी (आप) को एक भी सीट नहीं दी, जिसने छः सीटें चाही थीं। आप उम्मीदवार दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस उनमें से तीन सीटें हारी थी तथा कांग्रेस के बागियों ने (भाजपा की मदद से) दस सीटों पर वोट काटे थे।

हो सकता है कि हूडा ने सोचा हो कि 15 साल पहले डी.एल.एफ. के के.पी. सिंह के जरिये रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी को जो अनुदान दिलाया था, वह घटना उनकी मदद करेगी। लेकिन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 साल की पोती से दुष्कर्म, दादा को 20 साल की सजा

जयपुर, 7 दिसंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने पांच साल की पोती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दादा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 48 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड़ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पांच साल की पोती से निम्न कोटि और पतित अपराध किया है। पांच साल की अबोध लडकी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी

- अदालत ने 48 वर्षीय आरोपी पर 20 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया और कहा कि बालिका अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थी, आरोपी पर नरमी नहीं बरती जा सकती।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमें मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिये वक्फ बोर्ड विधेयक के मसले पर'

20 क्रिश्चियन सांसदों ने, जो अधिकतर विपक्ष के सदस्य हैं, बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया

- इन सांसदों ने इस बात पर भी जोर दिया बैठक में कि, अल्पसंख्यकों पर हमले व धमकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं तथा विदेशों से देश में (भारत में) भेजे जा रहे ''अनुदान'' के कानून सख्त बनाकर ईसाई संस्थाओं को (एन.जी.ओ. को) परेशान करने का प्रयास किया गया है।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर। विपक्षी दलों के लगभग 20 सांसदों ने भारत में संपन्न कैथलिक बिशप कॉन्फ्रैंस ऑफ इंडिया (सी. बी. सी. आई.) में कहा है कि ईसाई समुदाय को संसद में विचाराधीन वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय का साथ देना चाहिए क्योंकि यह विधेयक संविधान में प्रस्तावित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करता है।

सी. बी. सी. आई., जो भारत में कैथलिक समुदाय की सर्वोच्च संस्था है, ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में तकरीबन 20 सांसदों ने भाग लिया और अधिकांशतः सांसद विपक्षी दलों के थे। सी. बी. सी. आई. के अध्यक्ष आर्क बिशप एन्ड्रूज ने बैठक की अध्यक्षता को कई दशकों बाद पहली बार यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के डैरेक ओ ब्रायन, कांग्रेस के सांसद हीबी एडन, डीन कुरियाकोस, एटो एंटनी, और माकपा सांसद जॉन ब्रिटास प्रमुख थे। बाद में केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन भी बैठक में शामिल हुए।

मीटिंग के एजेंडा में ईसाई सांसदों द्वारा ईसाई समुदाय व इसके अधिकारों को समर्थन और संरक्षण देना, अल्पसंख्यकों खासकर ईसाइयों पर बढ़ते हमले और ईसाई संस्थानों को निशाना बनाने के लिए विदेशी चंदा नियम अधिनियम का दुरुपयोग करने के मुद्दे शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद ने सुझाव दिया कि ईसाई नेतृत्व को समुदाय के द्वारा आज के दौर में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के कुछ सकारात्मक बिंदु भी हाईलाइट करने चाहिए। सरकार व जनता को बताया जाए कि क्रिश्चियन स्कूलों में चार में तीन विद्यार्थी अन्य समुदायों के हैं।

बैठक में शामिल एक अन्य सांसद ने बताया कि अधिकांश विपक्षी सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। यह बिल इस समय जे. पी. सी. के विचाराधीन है। बिल ने सैंट्रल वक्फ काउन्सिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का शामिल करने का प्रावधान कर इनका स्वरूप बदलने की कोशिश की गई है।

लोकसभा व दस राज्य विधानसभाओं में एंग्लो -इंडियन्स की सीटें खत्म करने के मुद्दा भी उठाया गया और कहा कि कई ईसाई चैरिटी संस्थाओं के लाइसैंस विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के तहत कैंसिल किए गए हैं।

संविदाकर्मी की नियुक्ति से नियमित शिक्षक सरप्लस नहीं हो सकता

जयपुर, 7 दिसंबर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक के स्थान पर संविदाकर्मी को नियुक्त कर, उसे सरप्लस घोषित करने को गलत माना है। इसके साथ ही, अदालत ने अपीलार्थी नियमित शिक्षक को सरप्लस घोषित करने पर रोक लगा दी है। वहीं, उसका अन्य स्कूल में तबादला करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई है। इसके अलावा, अधिकरण ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण सदस्य चेतन देवड़ा और सदस्य लेखराज तोसावडा

- सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण ने शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को नोटिस जारी किये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित शम्भू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा!

इस बॉर्डर पर किसानों के मार्च (रैली) में पुलिस व किसानों की झड़पें हुईं, प्रशासन ने इस क्षेत्र में इन्टरनेट सेवाएं सस्पैंड कर दीं, तथा हरियाणा में स्कूलों की छुट्टी कर दी

- 2021 का किसान आंदोलन की पुनरावृति होने की आशंका है।
- किसान, पुनः सभी फसलों की एम.एस.पी. (न्युनतम समर्थन मूल्य) के लिये कानूनी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
- पर, सरकार, किसानों के आंदोलन व प्रदर्शन के दबाव के आगे न झुकने का मन बना चुकी है जैसा, कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद में दिये गये वक्तव्य से ज़ाहिर हुआ।

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 7 दिसंबर। फसलों की एम. एस. पी. (मिनिमम सपोर्ट प्राईस) का मुद्दा फिर से गर्माने लगा है, क्योंकि किसान एक बार फिर दिल्ली मार्च कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एम. एस. पी. की लीगल गारंटी दी जाए और इस बार भी लगता है कि, सरकार झुकने को तैयार नहीं है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय सरकार के इरादों का संकेत दिया, जब उन्होंने संसद में कहा कि सरकार एम. एस. पी. से 50 प्रतिशत ज्यादा दर पर फसलें खरीदती आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि लागत पर 50 प्रतिशत प्रॉफिट जोड़ कर एम. एस. पी. की दर तय की जाएगी। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश के सवाल के जवाब में चौहान ने बताया कि कृषि उत्पाद बढ़ाने की सरकार की दीर्घगामी योजना है। इसके तहत उत्पादन लागत में कमी और उचित मूल्य सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, फसल खराबे की स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को हर्जाना देने का निर्णय किया है। सरकार ने 23 आवश्यक फसलों की एम. एस. पी. तय कर दी है किसानों को फसल बेचने के तनाव से बचाने के लिए। पर सरकार सिर्फ चावल और गेहूं ही इस दर पर खरीदती है। किसान सभी आवश्यक फसलों की एम. एस. पी. तय करने की मांग कर रहे हैं।

इधर, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। यहां से दिल्ली में घुसने के रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं। यहां किसानों का पुलिस से टकराव हुआ। किसानों की मांग है कि एम. एस. पी. की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। इसके लिए किसान फिर से उसी आंदोलन को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो उन्होंने 2021 में कृषि कानून वापस लेने के लिए किया था। अंततः कृषि कानून वापस हो गए थे। चौहान ने संसद को बताया कि सरकार सभी फसलें खरीदेगी और अपनी सभी गारंटी पूरी करेगी। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब पार्टी ने एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें ठुकरा दी थी, जिसमें किसानों को फसल लागत का 50 प्रतिशत प्रॉफिट दिए जाने की सिफारिश की गई थी।

ज्ञातव्य है कि 2004 में भारत सरकार ने जाने माने वैज्ञानिक मंत्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नैशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का गठन किया था। आयोग ने किसानों की समस्याएं समझों तथा उनके समाधान हेतु सुझाव देने का काम किया था। आयोग के सुझावों में एक प्रमुख सुझाव था कि एम. एस. पी. फसल लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय की जाए, क्योंकि उस समय एम. एस. पी. पर फसलें बेचने से कई बार उत्पादन का खर्च भी नहीं निकल पाता था। आयोग ने देश भर में समान एम. एस. पी. की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश भी की थी, साथ ही आयोग ने सभी फसलों की एम. एस. पी. तय करने का भी सुझाव दिया था। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था एम. एस. पी. की कानूनी गारंटी, ताकि किसान एम. एस. पी. से ऊंची दर पर भी फसल बेच सकें।

कांग्रेस ने चौहान की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि पार्टी किसानों की चिंताओं का समाधान नहीं कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों को बुलाकर बात करनी चाहिए।

महिला सुपरवाइज़रों की भर्ती में अनियमितता क्यों?

जयपुर, 7 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती-2024 की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शयादा खान व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला एवं बाल विकास विभाग महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए गत 13 फरवरी को भर्ती विज्ञापन जारी किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर दस साल का अनुभव होने की शर्त रखी गई। याचिका में कहा गया कि भर्ती का गत 20 सितंबर को परिणाम जारी किया

- हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड व महिला, बाल विकास विभाग से जवाब मांगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)